राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :–एफ.वी.(60)/विस्तार/पशुपालक सम्मान/15–16/ दिनांक :

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में पशुपालक सम्मान समारोह योजनान्तर्गत प्रगतिशील पशुपालकों के चयन हेतु मार्गदर्शिका ।

बजट घोषणा वर्ष 2021–22 अनुसार प्रदेश के प्रगतिशील किसानों की तरह ही, प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह योजना के तहत प्रगतिशील पशुपालकों का चयन किये जाने के लिए विस्तृत योजना आधारित मार्गदर्शिका निम्नानुसार है।

योजना का उद्देश्य :–

- पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करना।
- पशुपालकों को समृद्ध एवं उन्नत नस्ल के पशुओं को रखने की ओर प्रेरित करना एवं उस दिशा में पशुपालकों का उत्साहवर्धन करना।
- आधुनिक तथा नवीनतम तकनीकी द्वारा पशु देखभाल करने से उत्पादकता पर प्रभाव को दर्शाना।
- नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान/उन्नत नस्ल के सांड द्वारा प्राकृतिक परिसेवा की महत्ता को सुस्थापित करना तथा अधिक उत्पादन हेतु कृत्रिम गर्भाधान से उत्पादित हुए पशुओं की उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन कर अन्य पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
- पशुपालको का आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर उन्हें पशुधन विकास की मूल धारा से जोड़ना है।
- योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करना।

पात्रता :–

योजनान्तर्गत पशुपालकों का चयन करते समय निम्नानुसार मापदण्डों को ध्यान में रखा जावें –

- योजनान्तर्गत पशुपालक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रगतिशील पशुपालकों का ही चयन किया जाना है।
- योजनान्तर्गत ऐसे प्रगतिशील पशुपालकों का चयन किया जायेगा, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन के क्षेत्र मे नये आयाम स्थापित किये हों जो प्रदेश के अन्य पशुपालकों के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बन सकें।
- पशुपालन की नवीनतम तकनीक का उपयोग कर उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करता हो। नियमित टीकाकरण, कृमिनाशक दवा का उपयोग करता हो एवं वत्स में मृत्यु दर कम हो।
- विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी रखता हो एवं उनका लाभ भी प्राप्त करता हो।
- विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं (जैसे दुग्ध प्रतियोगिता, कॉफ रैली, पशु मेलों में आयोजित नस्ल एवं उत्पादन से सम्बन्धित पशु प्रतियोगितायें आदि) में पुरूस्कृत हो चुके पशुपालकों को प्राथमिकता ।

Scanned with CamScanner

- पशुपालक, पशु प्रबन्धन, पशु आवास व्यवस्था, संतुलित आहार आदि के सम्बन्ध मे उन्नत तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ वास्तविकता में इन तकनीकों को अपनाता हो।

चयन प्रक्रिया :-

- निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के अग्रणी पशुपालक का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। इस हेतु पशुपालक को अपने पशुधन एवं उपलब्धियों का विवरण समीपस्थ पशु चिकित्सा संस्था की अनुशंसा सहित प्रार्थना पत्र संबन्धित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- पशुपालक स्वयं भी अपने पशुधन एवं उपलब्धियों का विवरण समीपस्थ पशु चिकित्सा संस्था की अनुशंसा सहित प्रार्थना पत्र संबन्धित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत कर सकता है।
- योजनान्तर्गत निर्धारित चयन समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्राप्त कुल आवेदन पत्रो में से प्रथम तीन स्थानों के लिये वरीयता क्रम निर्धारण करते हुए सूची तैयार की जायेगी। इसी प्रकार जिला स्तर भी प्रथम तीन स्थानों के लिये वरीयता क्रम निर्धारण करते हुए सूची तैयार की जायेगी। प्रत्येक क्रम पर वरीयता अनुरूप एक-एक पशुपालक का ही चयन किया जावेगा।
- पंचायत समिति स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे चयनित पशुपालकों में से जिला स्तर पर दो पशुपालको का चयन किया जावेगा एवं जिला स्तर पर चयनित समस्त पशुपालकों में से राज्य स्तर पर दो पशुपालकों का चयन किया जावेगा। चयनित पशुपालक को एक ही स्तर पर पुरस्कृत किया जावेगा अर्थात राज्य स्तर पर चयनित पशुपालक को जिला स्तर का पुरस्कार देय नहीं होगा एवं जिला स्तर पर चयनित पशुपालक को पंचायत समिति स्तर का पुरस्कार देय नहीं होगा।
- कुल 352 पंचायत समितियों में से प्रत्येक पंचायत समिति से एक पशुपालक को पुरस्कृत किया जावेगा। कुचामन सिटी सहित कुल 34 जिलों से प्रत्येक जिलें से दो पशुपालकों का कुल 68 पशुपालकों का चयन किया जावेगा। वर्ष 2021-22 में जिला स्तर पर चयनित 68 पशुपालकों मे से राज्य स्तर पर दो पशुपालकों का चयन किया जावेगा। राज्य स्तर पर चयन हेतु आवेदन सहित पूर्ण पत्रावली मय छाया चित्रों के जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग/उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी द्वारा उप निदेशक, विस्तार, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे प्रस्तावों के लिये संबन्धित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तावक के डेयरी आदि का निरीक्षण एवं सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होगा।
- पंचायत समिति स्तर पर प्रथम रहे पशुपालक का चयन जिला स्तर पर होने की स्थिति में उसी पंचायत समिति से द्वितीय स्थान पर रहे पशुपालक का चयन किया जावेगा।
- जिला स्तर पर चयनित पशुपालकों में से दो पशुपालकों का चयन राज्य स्तर पर किया जावेगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर चयनित पशुपालकों में से राज्य स्तर पर चयन होने की स्थिति में उसी जिले में तृतीय स्थान पर रहे पशुपालक का चयन जिला स्तर पर किया जावेगा।
- प्रत्येक जिला स्तर पर 2 पशुपालको का चयन किया जाना है। कम से कम तीन पशुपालको की सूची वरीयता अनुरूप क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंकित कर पूर्ण प्रस्ताव भिजवाये ताकि जिला स्तर पर चयनित पशुपालक का चयन राज्य स्तर पर चयन हो जाने की स्थिति मे वरियता क्रमाक तीन पर अंकित पशुपालक को जिला स्तर पर चयनित कर लिया जावेगा, तथा इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत पर एक पशुपालक का चयन किया जाना है। समिति द्वारा कम से कम तीन-तीन पशुपालकों की सूची वरीयता अनुरूप क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंकित कर पूर्ण प्रस्ताव भिजवाये ताकि पंचायत समिति स्तर से चयनित पशुपालक का चयन जिला स्तर पर चयनित होने की स्थिति में उसी पंचायत समिति पर अगली वरीयता की पशुपालक का चयन कर लिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

चयन समिति :–

पंचायत समिति स्तर पर :–

1	उप खण्ड अधिकारी /तहसीलदार/ विकास अधिकारी पंचायत समिति	अध्यक्ष
2	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
3	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी	सदस्य

जिला स्तर पर :–

1	जिला कलेक्टर/सहायक जिला कलेक्टर/प्रतिनिधी	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग	उपाध्यक्ष
3	परियोजना निदेशक (आत्मा)	सदस्य
4	प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग/उप निदेशक पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी	सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर :–

1	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान	अध्यक्ष
2	प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ., जयपुर	सदस्य
3	निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान	सदस्य
4	अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, पशु पालन विभाग	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, नोडल अधिकारी (आत्मा), कृषि विभाग, राज. जयपुर	सदस्य
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड,	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार चयन समिति द्वारा चयनित पशुपालकों की सूची का अनुमोदन माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा। विभिन्न स्तरों पर चयनित पशुपालकों को राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन कर पारितोषिक प्रदान किया जायेगा।

पुरस्कारों की संख्या एवं राशि का विवरण :–

विवरण	पशुपालकों का चयन	पुरस्कारों की संख्या	राशि प्रति पुरस्कार	कुल योग (लाख रूपये में)
राज्य स्तर पर	2	2	रू. 50,000.00	रू. 1.00
जिला स्तर पर	68	68	रू. 25,000.00	रू. 17.00
पंचायत समिति (352) स्तर पर	352	352	रू. 10,000.00	रू. 35.20
योग		364		रू. 53.20

Scanned with CamScanner

पशुपालक सम्मान समारोह योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी द्वारा 31 अगस्त, 2021 तक पंचायत समिति स्तर पर चयनित प्रगतिशील पशुपालकों की सूची एवं जिला स्तर पर चयनित प्रगतिशील पशुपालकों की सूची मय पत्रावली के उपनिदेशक, विस्तार एवं जनसंपक, पशुपालन निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

आवेदन प्रपत्र का प्रारूप संलग्न कर लेख है कि पंचायत समिति स्तर पर चयनित प्रगतिशील पशुपालकों की सूची संलग्न प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, साथ ही जिला स्तर पर चयनित पशुपालकों की सफलता की कहानी पत्रावली में संलग्न कर निर्धारित तिथि तक उप निदेशक, विस्तार, पशुपालन निदेशालय, जयपुर को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव,
पशुपालन विभाग

क्रमांक :–एफ.डी.(60)/विस्तार/पशुपालक सम्मान/15–16/171-287 दिनांक : 18/5/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री कृषि एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राज.जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, ...।
4. निदेशक/आयुक्त कृषि विभाग, पंत कृषि भवन जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग..................................
8. जिला स्तरीय समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग..................................
9. संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी (आत्मा), कृषि विभाग, राज. जयपुर।
10. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी
11. समस्त जिला नोडल अधिकारी, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
12. उपखण्ड अधिकारी, ...।
13. विकास अधिकारी,.....................................।
14. प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ...।

शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र

पशुपालक सम्मान समारोह, वर्ष 2021—22

जिला............................

पशुपालक का नाम..पिता /पति का नाम......................................

पता...

पंचायत समिति :...तहसील.............................जिला..................

फोन नं. :..मोबाईल नं. :..

पशुधन संख्या का विवरण:—

गोवंश	भैंस वंश	भेड़ वंश	बकरी वंश	ऊँट वंश	अश्व वंश	अन्य

विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	
प्रतियोगिताओं अथवा मेलो में यदि पुरस्कार मिला हो तो विवरण	
पशुपालन के क्षेत्र में यदि कोई नवाचार हो तो उल्लेख करें	
अन्य विशेष विवरण	

सत्यापन :

1. सरपंच / जनप्रतिनिधि—

पशुपालक के हस्ताक्षर

2. प्रभारी, पशु चिकित्सा संस्था—

आवश्यक संलग्नक :—

1. फोटो पहचान पत्र की प्रति
2. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
3. पुरस्कार के प्रमाण पत्रों की प्रतियां
4. पशुपालक का पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो
5. पशुधन एवं उन्नत पशुपालन तकनीक से सम्बन्धित रंगीन फोटो (साईज : 5 x 7 इंच)

नोट:— पशुपालक आवेदन करते समय अपना नाम बैंक खाते के अनुरूप ही स्पष्ट रूप से अंकित करावें, साथ ही बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न की जानी है।

Scanned with CamScanner